

## हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 1 सितम्बर, 2026

संख्या वि०स०-विधायन-विधेयक/1-22/2026.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 11) जो आज दिनांक 1 सितम्बर, 2026 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/—  
(यशपाल),  
सचिव,  
हि०प्र० विधान सभा।

2026 का विधेयक संख्यांक 11.

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 122 का संशोधन।
3. निरसन और व्यावृत्तियां।

2026 का विधेयक संख्यांक 11.

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994, (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा, द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस विधेयक का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 है।

(2) यह 06 मई, 2026 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 122 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 में,—

(क) उप-धारा (1) में खण्ड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ड) यदि उसने सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसाइटी या ग्राम शामिलाली भूमि की या उस द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर ली गई या अधिगृहीत किसी भूमि का अधिक्रमण किया है या उस अधिक्रमण का हिताधिकारी है जबकि उस तारीख से जिससे उसको बेदखल किया गया है, छह वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिक्रान्ता न रहा हो।

**स्पष्टीकरण.**—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए पद “हिताधिकारी” में अधिक्रान्ता के दादा, दादी, पिता, माता, पति—पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री और पुत्र—वधु सम्मिलित है;” और

(ख) उप-धारा (2) में (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(घ) यदि उसने सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसाइटी या ग्राम शामिलाली भूमि की या उस द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर ली गई या अधिगृहीत किसी भूमि का अधिक्रमण किया है या उस अधिक्रमण का हिताधिकारी है जबकि उस तारीख से जिससे उसको बेदखल किया गया है, छह वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिक्रान्ता न रहा हो।

**स्पष्टीकरण.**—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए पद “हिताधिकारी” में अधिक्रान्ता के दादा, दादी, पिता, माता, पति—पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री और पुत्र—वधु सम्मिलित है ; या”

**3. निरसन और व्यावृत्तियां.—**(1) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

### उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 की उप-धारा (1) के खंड (ड) तथा उप-धारा (2) के खंड (घ) में यह उपबंधित है कि कोई व्यक्ति क्रमशः पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए तथा पंचायत के पदाधिकारी के रूप में पद धारण करने के लिए निरर्हित होगा, यदि उसने स्वयं या उसके कुटुंब के किसी सदस्य ने राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी समिति की किसी भूमि पर, या उनकी ओर से पट्टे पर ली गई या अधिगृहीत किसी भूमि पर अतिक्रमण किया है, जब तक कि उस भूमि से उसके या, यथास्थिति, उसके कुटुंब के किसी सदस्य के बेदखल किए जाने अथवा अतिक्रमणकारी न रहने की तारीख से छह वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गई हो।

अधिनियम के अधीन “कुटुंब का सदस्य” पद में दादा, दादी, पिता, माता, पति या पत्नी, पुत्र या पुत्रों तथा अविवाहित पुत्री को सम्मिलित किया गया है। तथापि, किसी व्यक्ति की पुत्र—वधु को “कुटुंब का सदस्य” की विद्यमान परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। विगत निर्वाचनों में ऐसे दृष्टांत सामने आए हैं, जिनमें अतिक्रमण के कारण निरर्हित व्यक्तियों ने अपनी पुत्र—वधु को पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने या पंचायत के पदाधिकारी के रूप में पद धारण करने के लिए प्रत्याशी बनाया है। चूंकि पुत्र—वधु अतिक्रमणकारी के परिवार की सदस्य होने के साथ—साथ ऐसे अतिक्रमण का हिताधिकारी भी हो सकेगा, अतः ऐसे कुटुंब के सदस्यों को पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में प्रत्याशी बनने से रोकने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की उक्त धारा में आवश्यक संशोधन किया जाना अपेक्षित था। मामले की

तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम में उपर्युक्त संशोधन अध्यादेश प्रख्यापित करके किए जाने का निर्णय लिया गया।

विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 में उक्त संशोधन तत्काल किया जाना आवश्यक था, अतः महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (2026 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1) तारीख 06-05-2026 को प्रख्यापित किया गया था, जिसे अधिसूचना संख्या एलएलआर-डी (6)-12/2026 विधान, तारीख 6 मई, 2026 द्वारा हिमाचल प्रदेश राजपत्र (ई-गजट) में 6 मई, 2026 को प्रकाशित किया गया था। अतः उक्त अध्यादेश को एक नियमित अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक, उक्त अध्यादेश को उपांतरण सहित, प्रतिस्थापित करने की पूर्ति के लिए है।

(अनिरुद्ध सिंह)  
प्रभारी मंत्री।

शिमला :

तारीख : 2026

-----  
*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 11 of 2026.**

**THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ  
(2nd AMENDMENT) BILL, 2026**

**ARRANGEMENT OF CLAUSES**

*Clauses :*

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 122.
3. Repeal and savings.

-----  
**Bill No. 11 of 2026.**

**THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ  
( 2nd AMENDMENT) BILL, 2026**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows :—

**1. Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (2nd Amendment) Act, 2026.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 6th day of May, 2026.

**2. Amendment of section 122.**—In section 122 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994,-

(a) in sub-section (1), for clause (e), the following shall be substituted, namely :—

“(e) if he has encroached upon or is a beneficiary of the encroachment upon any land belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the Government, a Municipality, a Panchayat or a Co-operative Society or a village common land unless a period of six years has elapsed since the date on which he is ejected therefrom or he ceases to be the encroacher.

*Explanation.*—For the purpose of this clause, the expression "beneficiary" shall include the grand-father, grand-mother, father, mother, spouses, son, unmarried daughter and daughter-in-law of the encroacher;” and

(b) in sub-section (2), for clause (d), the following shall be substituted, namely :—

“(d) if he has encroached upon or is a beneficiary of the encroachment upon any land belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the Government, a Municipality, a Panchayat or a Co-operative Society or a village common land unless a period of six years has elapsed since the date on which he is ejected therefrom or he ceases to be the encroacher.

*Explanation.-* For the purposes of this clause, the expression "beneficiary" shall include the grand-father, grand-mother, father, mother, spouse, son, unmarried daughter and daughter-in-law of the encroacher;”.

**3. Repeal and savings.**—(1) The Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2026 (Ordinance No. 1 of 2026) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any action taken or anything done under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 122 (1) (e) and 122 (2) (d) of Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 provides that a person shall be disqualified for being chosen as, and for being an office bearer of a Panchayat respectively, if he or any of his family member(s) has encroached upon any land belonging to, or taken on lease or requisitioned by or on behalf of, the State Government, a Municipality, a Panchayat or a Co-operative Society unless a period of six years has elapsed since

the date on which he or any of his family member, as the case may be, is ejected therefrom or ceases to be the encroacher.

The expression "family member" under the Act includes grand-father, grand-mother, father, mother, spouse, son(s), unmarried daughter. However, the daughter-in-law was not included within the definition of "family member". In the past elections there have been instances where persons who were disqualified on account of encroachment have promoted their daughter-in-law to be elected as representatives for being chosen as, or for being office bearer of a Panchayat. Since a daughter-in-law may be a beneficiary and a member of a family of the encroacher, therefore, in order to debar such members to contest the elections for the Panchayati Raj Institutions, necessary amendment in the provision of Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 was to be carried out in the said section. Keeping in view, the urgency of the matter, it was decided to bring the above amendment in the Act *ibid.* by promulgation of an Ordinance.

Since, the Legislative Assembly was not in session and the aforesaid amendment in the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 was to be made urgently, as such, the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2026 (H.P. Ordinance No. 1 of 2026) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by the Hon'ble Governor of Himachal Pradesh on 06-05-2026 which was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 6th May, 2026 *vide* notification No. LLR-D (6)-12/2026-Legn, dated 6th May, 2026. Now the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the said Ordinance with modification.

(ANIRUDH SINGH)  
*Minister-in-Charge.*

SHIMLA:

THE \_\_\_\_\_, 2026.

-----